माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर इन्हों के न्यायालय में

P1432PB217

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ...41... 12 ... पेढार ...
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 22-04-2017
को प्रस्तुत।

263
22-04-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

गंगाराम पिता श्री गोविन्दसिंह,
उम्र–52 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,
निवासी–ग्राम बरदरी, तहसील सांवेर,
जिला–इंदौर (म.प्र.)
हाल निवासी–ग्राम भंवरासला, थाना–बाणगंगा,
जिला–इंदौर (म.प्र.)

———प्रार्थी / आवेदक

विरूद्ध

विजय शाह पिता श्री केशवलाल शाह,
निवासी–4, अहिल्यामाता कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.)

———प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

रीवीजन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत

प्रार्थी रा.रा. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील सांवेर, जिला इंदौर के समक्ष आवेदक द्वारा धारा 250 सहपठित धारा 32 एवं 52 भू–राजस्व संहिता एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रकरण क्र. 1/अ70 में 2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 9/3/17 से असंतुष्ट होकर मियाद में यह रीवीजन प्रस्तुत करता है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1432–पीबीआर/17 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/17	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायलय के आदेश दिनांक 9–3–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश से यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलबध है, जहां वे स्थगन निरसत कराने की कार्यवाही कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	